न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :–03/68/2022 ऑनलाईन नम्बर 2022/352 प्रवेश तिथि:–27.07.2022

01. धोली देवी पत्नी विष्णु कुमार मीना जाति मीना आयु करीब 30 साल निवासी ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर

.....प्रार्थीया

बनाम्

01. रमेश चन्द पुत्र रामलाल जाति बैरवा आयु करीब 55 साल (फौत)

01/1 बत्तो देवी पत्नि स्व0 रमेश

01/2 धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 रमेश

01/3 ओमलता पुत्री स्व0 रमेश

01/4 शिवलता पुत्री स्व0 रमेश समस्त जातियान बैरवा निवासीयान ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर

02. रामहेत प्रसाद पुत्र रामलाल जाति बैरवा आयु करीब 50 साल

03. सुरेश चन्द पुत्र रामलाल जाति बैरवा आयु करीब 45 साल

04. छुट्टन पुत्र बिरदा जाति कोली आयु करीब 65 साल

05. छोटेलाल पुत्र रामसहाय जाति कोलीआयु करीब 66 साल

06. सुल्तान पुत्र बिरदा जाति कोली आयु करीब 70 साल समस्त निवासीयान ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर

07. सोन्या उर्फ सोहनलाल उर्फ छोटेलाल पुत्र बिरदा जाति कोली आयु करीब 66 साल

08. हरिकिशन पुत्र कन्हैयालाल जाति बलाई निवासी ग्राम ईशवाना तहसील रैणी जिला अलवर

09. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र औम प्रकाश जाति मीना निवासी गुवाडा धेसली मोतीवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी 1955
अन्तर्गत धारा 251–'क'
उपस्थित– श्री पी.डी. मीना एड0–प्रार्थी
श्री धर्मेन्द्र जैसावत एड0–अप्रार्थी

–:निर्णय:–

दिनांक 02/01/2025

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीया धोली देवी पत्नी विष्णु कुमार मीना निवासी मोतीवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हाल आराजी खसरा नं 316 रकबा 0.75 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

317 रकबा 0.62 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय वाके ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित अपनी खातेदारी भूमि पर जाने–आने हेतु रास्ता कायम नही होने के कारण अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 316 व 317 के लिए अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं 225, 224, व 221 के उत्तरी सिरे से पश्चिम से पूर्व खसरा नं 317 व 316 के लिए रास्ता कायम कराने का निवेदन किया गया है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि न्यायालय श्रीमान द्वारा रास्ता निर्धारण किये जाने के उपरान्त रास्ता के उपयोग में आई भूमि अप्रार्थी को प्रार्थीया की सहखातेदारी की आराजी खसरा नं 316 व 317 में से दिलाती है या रास्ता की भूमि की कीमत का निर्धारण किया जाता है, तो प्रार्थीया न्यायालय श्रीमान की आदेशों की पालना करने को सदैव तैयार व तत्पर रहेगी। प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया की सहखातेदारी की आराजी खसरा नं 316 व 317 वाके ग्राम मोतीवाडा में आने जाने व ट्रैक्टर–गाडी ले जाने के लिए तरफ पश्चिम को स्थित रास्ता से अप्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा नं 225, 224 व 221 के उत्तरी सिरे से पश्चिम से पूर्व खसरा नं 317 वाके ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ तक 15 फुट चौडा रास्ता का निर्धारण कराते हुये रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा एक्स पर्चा में इन्द्राज किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण 5 व 8 बाद सुचना तामिल उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्व एकतफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व 6, 7 की ओर से जवाब पेश हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया है कि प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ता एक सुखाचार की श्रेणी में आता है और सुखाधिकार के बारे में दावा सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को न होकर सिविल न्यायालय को है। मौके पर खसरा नं 317 तक किसी भी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर न कभी था, न आज है। सारी बातें झूंठी व मनगढन्त दर्ज की है। खसरा नं 225, 224 व 221 के उत्तरी सिरे से पश्चित से पूर्व में आने जाने के लिए मौके पर खसरा नं 317 तक कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीया के खेत खसरा नं 329 जो कि गै.मु.रास्ता खसरा नं 1825/334 से लगता हुआ है, से लगते हुये है और सबसे नजदीक रास्ता भी इसी तरफ से है। जवाब में और निवेदन किया गया है कि प्रार्थीया के खेत खसरा नं 317, 316 के लगते ही आराजी खसरा नं 328 व 329 है। जिसके लगते ही रास्ता मौके व रिकॉर्ड में मौजूद है, जो रास्ता खसरा नं 1825/334 गै.मु.रास्ता सरकारी खाते में दर्ज है, तो जब प्रार्थीया के पास वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद है और सबसे नजदीक दूरी पर रास्ता भी यही है, तो ऐसी सूरत में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

3. प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार राजगढ से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2022/1817 दिनांक 19.09.2022 के मार्फत पटवारी हल्का मोतीवाडा, भू.अ.नि. नीमला व तहसीलदार राजगढ की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 15.09.2022 इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक वर्तमान आराजी खसरा नं 1839/199, 1842/203, 204, 216 तथा 220 में से रास्ता चाह रही है। जिसमें आराजी खसरा नं 1839/199 में मौके पर कदीमी रास्ता कायम है। तथा चालू है। आराजी खसरा नं 1842/203 में तरफ पूर्व होकर आराजी खसरा नं 204 के दक्षिण में होते हुये आराजी खसरा नं 216 के दक्षिण में तथा 220 में रास्ता कायम नहीं है। आराजी खसरा नं 204, 216 वन विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा आराजी खसरा नं 1842/203 पूजा पुत्री कैलाश जाति गवारिया, बबलू पुत्र बाबू गवारिया

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला–अलवर

बिशनलाल सेढूराम जाति मीना, रीना बबेरलाल पुत्री पृथ्वीसिंह बैरवा वगै. सा.देह खातेदारों के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर प्रस्तावित रास्ते में कोई निर्माण व वृक्ष बोरवेल इत्यादि नहीं है। आवेदक की अराजी में पहूंच के लिए लघुत्तम मार्ग आराजी खसरा नं 330 तथा 1825/334 में मौके पर रास्ता कायम तथा चालू है। यदि आराजी खसरा नं 343 के तरफ पूर्व में होकर दिया जाये तो एक ही आराजी में रास्ता देने की आवश्यकता होगी। आवेदक द्वारा प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई व चौडाई इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं 1839/199 में 1600 वर्ग मीटर, 1842/203 में 1120 वर्ग मीटर, 316 में 320 वर्ग मीटर, 220 में 300 वर्ग मीटर तथा लघुत्तम मार्ग की लम्बाई व चौडाई आराजी खसरा नं 343 में लम्बाई 60 मीटर व चौडाई 4 मीटर अर्थात 240 वर्ग मीटर है।

4. अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट दिनांक 15.09.2022 पर ऐतराज व्यक्त किया। अप्रार्थी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति मीना निवासी गुवाडा घेसली तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा एक प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी का दिनांक 18.04.2023 को पेश किया गया। बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी धर्मेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश मीना को अप्रार्थी स्वरूप पक्षकार बनाया गया। ऐतराज प्रार्थना पत्र तहसीलदार रिपोर्ट बाद गौर स्वीकार किये जाने पर तहसीलदार राजगढ से प्रार्थना पत्र पर पुनः रिपोर्ट तलब की गई।

5. तहसीलदार राजगढ द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2024/1795 दिनांक 04.10.2024 के मार्फत पटवारी हल्का एवं भू.अभिलेख निरीक्षक नीमला की संयुक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 27.09.2024 इस न्यायालय में प्रस्तु की गई। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रस्तावित रास्ता आराजी खसरा नं 224, 225 व 221 अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। प्रस्तावित आराजी खसरा नं 221, 224 व 225 के लगते हुये कोई भी गै.मु. रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी प्रस्तावित आराजी खसरा नं 224, 225 व 251 रकबा 0.28 है किस्म गै.मु. रास्ता तक आना चाह रहा है। आराजी खसरा नं 251 रकबा 0.28 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता तक पहूंचने हेतु प्रार्थीया आराजी खसरा नं 221, 224, 225, 226, 203/1922, 1866/1842, 1867/1842, 1869/1842, 1839/199, 1837/199 में से होकर रास्ता मिलाना चाह रहा है। आराजी खसरा नं 225, 203/1922, 1866/1842, 1867/1842, 1869/184 अप्रार्थीगण के अलावा अन्य की खातेदारी भूमि है। आराजी खसरा नं 1839/199, 1837/199 राजस्व रिकॉर्ड में चरागाह भूमि दर्ज है। प्रार्थीया को अपनी आराजी खसरा नं 316 व 317 से आराजी खसरा नं 251 किस्म गै.मु. रास्ता तक पहूंचने हेतु 1099 मीटर के लगभग दूरी की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित आराजी खसरा नं 221, 224, 225 में कोई पक्का निर्माण नहीं है। आवेदक की अराजी में पहूंचने के लिए लघुत्तम मार्ग आराजी खसरा नं 1825/334 रकबा 0.02 किस्म गै.मु.रास्ता मौके पर कायम है तथा चालू है। आराजी खसरा नं 328 व 329 आवेदक की सहखातेदारी भूमि है जो कि गै.मु.रास्ता आराजी खसरा नं 1825/334 के लगते हुये है।

6. बहस वकुलाय सुनी गई। प्रार्थीया के अधिवक्ता श्री पी.डी. मीना द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नं 316 व 317 में आने–जाने व काश्त हेतु ट्रैक्टर साधन इत्यादि लाने व ले जाने फसल को काटकर लाने व ले जाने के लिए रास्ता नहीं है। प्रार्थीया को हर काश्त वक्त रास्ते की रागरया का सामना करना पडता है। जिससे वह अपने खेतों से फसलों का समुचित लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाती है। और अन्त में रास्ता कायम करने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

में प्रस्तुत किये गये तथ्यों का वर्णन करते हुये प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये बहस में दोहराया गया कि प्रार्थीया की आराजी खसरा नं 316 व 317 सह खातेदारी आराजी है, मौके पर आराजी खसरा 317 व 316 का बहामी तौर पर बंटवारा करते हुये खसरा नं 316 पर प्रार्थीया तथा 317 पर अप्रार्थी धर्मेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश मीना काबिज काश्तकार है। मौके पर खसरा नं 316 व 317 के लिए कोई भी रास्ता उपलब्ध नही है। अन्त में अप्रार्थी धर्मेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश मीना के काबिज काश्त आराजी खसरा नं 317 तक रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया।

7. प्रकरण में प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार राजगढ की मौका-रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व धारा 251-'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है-

धारा 251-क- अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1) जहाँ

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि-

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भुमि को धारित करता, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये , भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुत्तम या निकटतम रूट से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रिति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहाँ-उपधारा (1) के अधिन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहा ऐसे मार्ग को समाविष्ठ करने वाली उस भूमि के संबंध मे अभिग्रति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है-

68. Application under Sec. 251-A. - An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form I.

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

69. Enquiry and disposal of application. - On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. - (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251 of the Act, shall be determined in the following manner:-

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee : constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure,] the amount of actual loss or damages shall also be determined.

8. उक्त धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बावत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त धारा 251–क दो पूर्वशर्तों को आरोपित करती है जो है–

01 खातेदार की रास्ते बावत् आत्यन्तिक आवश्यकता।

02 खातेदार की रास्ते बावत् अन्य विकल्प की अनुपस्थिति।

03 खातेदार जिस रास्ते की मांग कर रहा है, वह मार्ग निकटतम दूरी का होना अति–आवश्यक।

9. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं बहस के दौरान किये गये कथनों का गहराई से मनन एवं अवलोकन किया गया। प्रार्थीया धोली देवी पत्नी विष्णु कुमार मीना निवासी ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर को रास्ते की आवश्यकता है। अप्रार्थी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश मीना

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

निवासी गुवाडा घेसली तहसील राजगढ़ जिला अलवर को भी रास्ते की आवश्यकता है। प्रकरण में मूलतः खातेदारों को अपने खेतों पर जाने–आने हेतु एवं काश्त कार्य हेतु संसाधन लाने व ले जाने के लिए रास्ते की नितान्त आवश्यकता है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में किये गये विधिक प्रावधानों की पूर्ववर्ती शर्त "खातेदार को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए आत्यान्तिक आवश्यकता है" पूर्ण होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में रास्तों की समस्या को समाप्त किये जाने की मंशा से खातेदारों को अपनी जोत तक पहूंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने की दशा में रास्ता दिये जाने के प्रावधान किये गये है। उक्त शर्त की रोशनी में प्रकरण को देखा जाना अत्यन्त आवश्यक है। हमने प्रार्थी व अप्रार्थीगणों द्वारा दिये गये कथनों में पाया गया कि आराजी खसरा नं 316 व 317 के लिये पहूंच मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा यह भी सुनिश्चित किया गया कि विधि में दिये गये प्रावधान अनुसार खातेदारों को अपनी जोत तक पहूंचने के लिये निकटतम मार्ग का चयन किया जाना है। तहसीलदार राजगढ द्वारा अपनी दोनों जांच रिपोर्ट दिनांक 15.09.2022 व 27.09.2024 में आराजी खसरा नं 1825/334 किस्म गै.मु.रास्ता से होते हुये आराजी खसरा संख्या 329 में तरफ दक्षिण–पश्चिमी मेढ के सहारे तथा आराजी खसरा संख्या 316 में से तरफ दक्षिणी मेढ के सहारे आराजी खसरा संख्या 317 तक रास्ता निकटतम मार्ग का दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र रास्ते की नितान्त आवश्यकता होने एवं तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट के अनुसार निकटतम रास्ता आराजी खसरा नं 1825/334 किस्म गै.मु.रास्ता से होते हुये आराजी खसरा संख्या 329 में तरफ दक्षिण–पश्चिमी मेढ के सहारे तथा आराजी खसरा संख्या 316 में से तरफ दक्षिणी मेढ के सहारे आराजी खसरा संख्या 317 तक रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। चूंकि प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ता की लम्बाई 1099 मीटर है जबकि तहसीलदार राजगढ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अन्य निकटतम रास्ता केवल 60 मीटर की लम्बाई का प्रस्तावित किया है। जो न्यायोचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि आराजी खसरा नं 1825/334 किस्म गै.मु.रास्ता से होते हुये आराजी खसरा संख्या 329 में से तरफ दक्षिण–पश्चिमी मेढ के सहारे तथा आराजी खसरा संख्या 316 में से तरफ दक्षिणी मेढ के सहारे आराजी खसरा संख्या 317 तक 04 मीटर चौडाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। उक्त रास्ता राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार क्षतिपूर्ति की शर्तों की पूर्ति हेतु प्रार्थीया धोली देवी व अप्रार्थी धर्मेन्द्र की सहमति अनुसार रास्ता कायम करने में उपयुक्त भूमि के कुल क्षेत्रफल के बराबर भूमि इनके स्वयं के हिस्से की आराजी में से बराबर–बराबर भाग कम होकर गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावेगा, जो इनकी खातेदारी भूमि में दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार राजगढ को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 02/01/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जगा लेख्र भंडार हो।

(सीमा खेतान)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर

क्रमांक/राजस्व/2024/1795 दिनांकः- 04.10.2024

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
राजगढ़ जिला अलवर

विषयः- मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत।
प्रसंगः- आपका पत्रांक कोर्ट/रीडर/2024/356 दिनांक 03.09.2024।
अनुवानः-अनुवानी प्रकरण धोली देवी बनाम रमेश प्रकरण संख्या 03/689/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासांगिक पत्र की पालना में अनुवानी प्रकरण धोली देवी बनाम रमेश प्रकरण संख्या 03/689/2022 में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं की जांच करा मौका रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक नीमला व पटवारी हल्का मोतीवाड़ा से ली गई। मूल मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमानजी की सेवामें सादर प्रेषित है।
संलग्नः-मौका रिपोर्ट दिनांक 27.09.2024।

तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार साहब
राजगढ़ (अलवर)

RA

विषय अनुवानी प्रकरण धोली देवी बनाम रमेश प्रकरण क्रमांक 03/689/2022 वाके ग्राम मोतीवाड़ा में मौका रिपोर्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट बाबत।

प्रसंग श्रीमान जी के पत्र क्रमांक /राजस्व/2024/1677-78 दिनांक 5/9/24

महोदय,

उक्त प्रसंगिक पत्र के संदर्भ में तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है।

(1) आवेदक के द्वारा आ०ख०न 316 रकबा 0.75 है. किस्म बारानी 3, आ०ख० नंबर 317 रकबा 0.62 है. किस्म बारानी 3 वाके ग्राम मोतीवाड़ा हेतू 251A के तहत 15 फुट रास्ता चाहा गया है।

(2) पार्थी 251A के तहत प्रस्तावित रास्ता आ०ख०न 224, 225, 221 में से होकर चाह रहा है जो कि अपार्थीगण की खातेदारी भूमी है।

(3) प्रस्तावित आराजी ख०न 221, 224, 225 के लगते हुये को भी गै०मु० रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

(4) पार्थी प्रस्तावित आराजी ख०न 224, 225, 221 में से होते हुये आ०ख०न० 251 रकबा 0.28 है. किस्म गै०मु० रास्ता तक आना चाह रहा है।

(5) आ०ख०न 251 रकबा 0.28 है. किस्म गै०मु० रास्ता तक पहुचने हेतू पार्थी आ०ख०न 221, 224, 225, 226, 203/1922, 1866/1842, 1867/1842, 1869/1842, 1839/199, 1837/199 में से होकर रास्ता मिलाना चाह रहा है।

(6) आ०ख०नं. 226, 203/1922, 1866/1842, 1867/1842, 1869/184 अपार्थीगण के अलावा अन्य की खातेदारी भूमी है।

(7) आ०ख०न 1839/199, 1837/199 राजस्व रिकार्ड में चरागाह के खाते में दर्ज है।

(8) पार्थी को अपनी आराजी खसरा नंबर 316 व 317 से आ०ख०न 251 किस्म गै०मु० रास्ता तक पहुचने हेतू 1099 मीटर के लगभग दूरी

की आवश्यकता होगी।

(9) प्रस्तावित आ.रा.न. 221, 224, 225 मे कोई पक्का निर्माण निर्माण नही है (जहा से रास्ता जा रहा है)

(10) आवेदक की आराजी मे पहुचने के लिए न्यूनतम मार्ग आ.रा.न. 1825/334 रकबा 0.02 है. किस्म गै.मु. रास्ता मौके पर कायम है तथा चालू है।

(11) आ.रा.न. 328 व 329 आवेदक की खातेदारी भूमी है जो B गै.मु. रास्ता आ.रा.न. $\frac{1825}{334}$ गै.मु. रास्ते के लगते हुवे है।

अत: रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा मे पेश है।

[illegible]
23/9
[illegible]
[illegible] मोतीपाडा 27/9/24

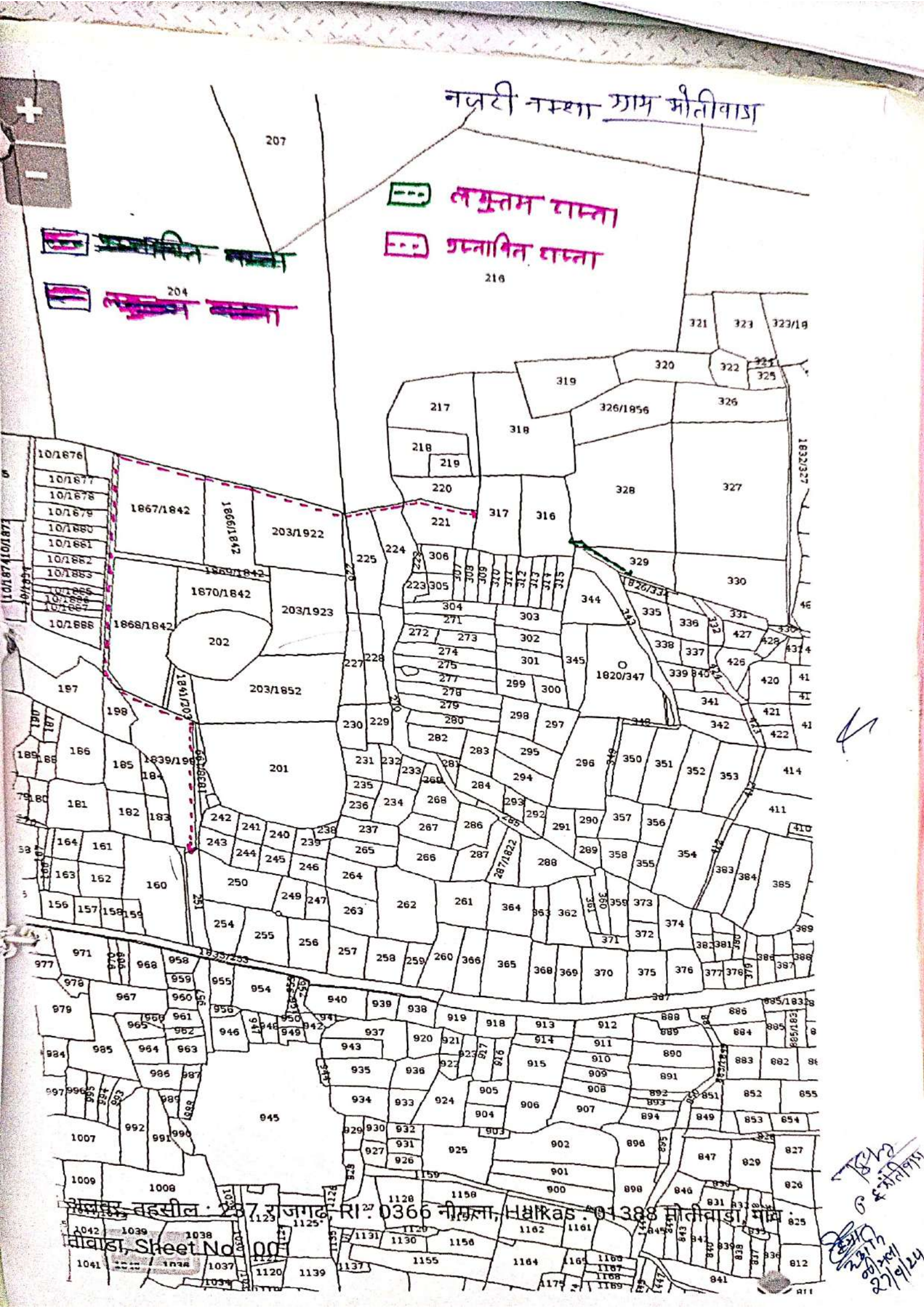

नजरी नक्शा ग्राम मोतीवाड़ा
लघुतम रास्ता
प्रस्तावित रास्ता
अलवर, तहसील : 237 राजगढ़, RI : 0366 नीमला, Halkas : 01388 मोतीवाड़ा, गांव :
तीवाड़ा, Sheet No : 001

राजस्थान–सरकार

कार्यालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर

क्रमांक/राजस्व/2022/ 1817 दिनांकः– 19.9.22

श्रीमान उपखण्ड़ अधिकारी महोदय,
राजगढ जिला अलवर

विषयः–अनुवानी प्रकरण सं0 03/68/2022 धोली देवी बनाम रमेश चन्द में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंगः– आपका पत्रांक कोर्ट/ 2022/325 दिनांक 27.07.2022

महोदय, तारिख पेशी – 20.9.22

प्रांसागिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओ की जांच करा रिपोर्ट भू0अ0नि0 नीमला व पटवारी हल्का मोतीवाडा से ली जाकर मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

मौका रिपोर्ट (धारा 251 (क)) हल्का गोठियाडा

प्रकरण :- धोली देवी बनाम सरकार प्र.सं.- 03/68/2022

उपरोक्त दिनांक 15/3/2022 आदेश क्रमांक/रीडर/आर.ए/2022/1325 दि. 27/7/22 व TBR आदेश क्रमांक/राजस्व/221/1237-38 दिनांक 2/8/22 की पालना में बमसराह प.ह. गोठियाडा के साथ वर्डि ग्राम गोठियाडा से पहुंची प्र.पत्र की पालना में धारा 251A की रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न अनुसार तैयार की गई

अंशधारक मौके पर मौजूद मिले

① आवेदक वर्तमान में आ.ख.न 1839/133 व 1842/203, 204, 216 तथा 220 में से रास्ता चाहती है। जिसमें की आ.ख.न 1839/133 से मौके पर कच्ची रास्ता कायम है। तथा चालू है। तथा आ.ख.न 1842/203 में तर्फ पूर्व से होकर आ.ख.न 204 के दक्षिण होते हुए आ.ख.न 216 के दक्षिण से तथा 220 से रास्ता कायम नहीं है।

② आ.ख.न 204, 216 वन विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा आ.ख.न 1842/203 पुजा पुत्री कैलाश जाति आवारिया व बाबू पुत्र बाबू आयरिया किशनलाल खेतराम जाति मीणा, मीना धाकरवाल पुत्री हरीलिर बैरवा वगैरा संदेह खातेदारी के नाम दर्ज रिकार्ड है।

③ मौके पर उपरोक्त प्रस्तावित रास्ते में कोई निर्माण व कुआ बोरवेल आदि नहीं है।

④ आवेदक की आराजी से पहुँच के लिए न्यूनतम मार्ग आराजी ख.न 330 तथा 1825/334 से मौके पर रास्ता कायम तथा चालू है। यदि आ.ख.न 343 के तर्फ पूर्व से होकर दिया जावे तो कई की आराजी में रास्ता देने की आवश्यकता पड़ेगी

⑤ अर्थात अजाया से आपसी सहमति नहीं है।

⑥ आवेदक द्वारा प्रस्तावित मार्ग की ल.व चौड़ाई निम्न प्रकार है। लगातार

ख०न	ल०	चौ०	क्षेत्र
1839/199	400	4	1600 मी०^2
1842/203	280	4	1120 मी०^2
316	80	4	320 मी०^2
220	75	4	300 मी^{2}

तथा प्रस्तुत मार्ग की लम्बाई व चौड़ाई

ख०न	ल०	चौ०	क्षेत्र
343	60	4	240 मी^{2}

रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है

C. S.

तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

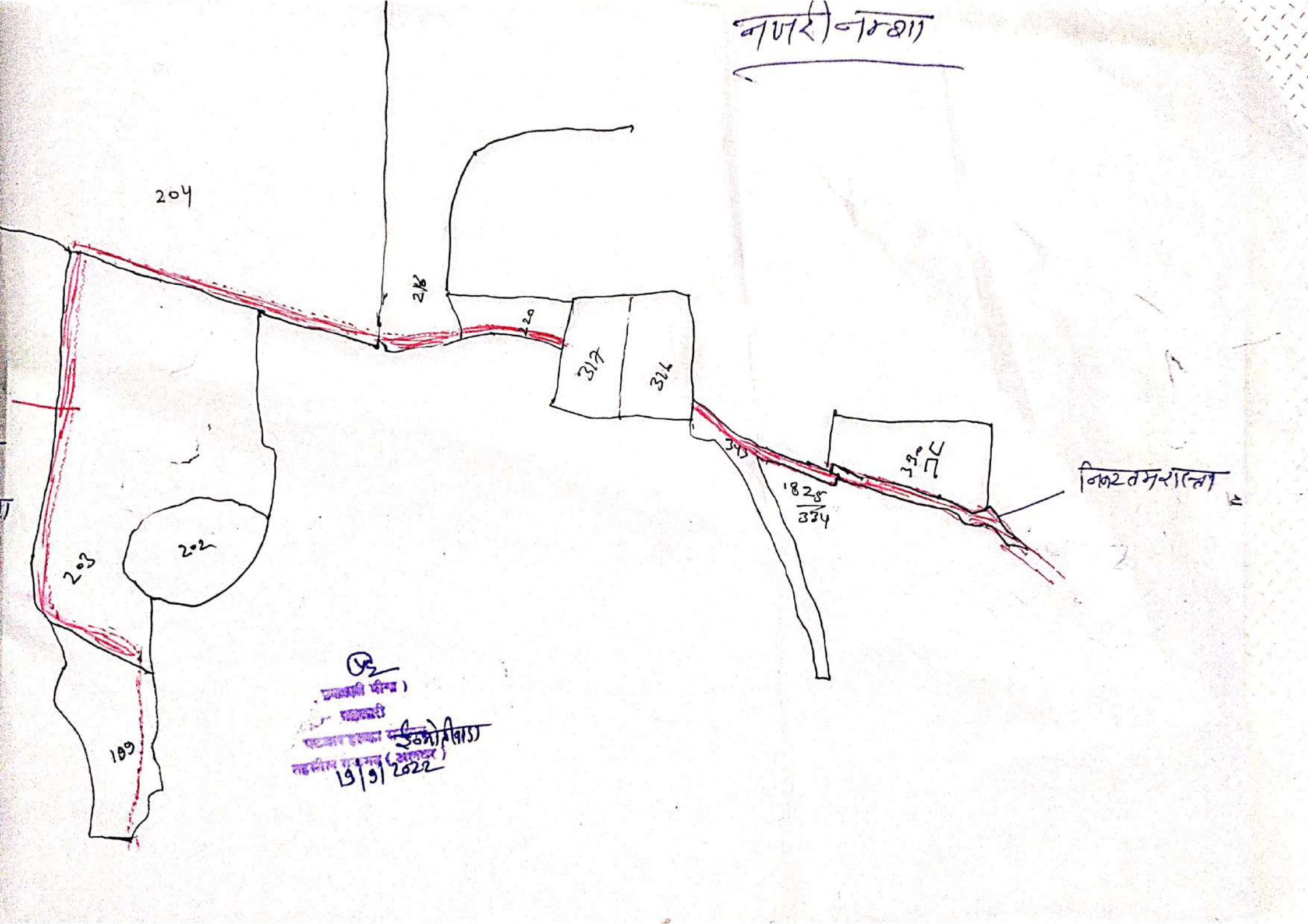

नजरी नक्शा

204
218
220
317
316
343
1828/334
330
203
202
189
निकटतम रास्ता
19/9/2022